Corporation of India and the State procuring agencies had to procure paddy under price support scheme in a big way to avoid any distress sale of paddy by farmers beiow the support price due to non-cooperative attitude of millers. Even after giving some increase in the procurement price of levy-rice and the transportation and forwarding charges for levy-rice to be delivered by millers to Food Corporation of India, tne millers did not show much interest in the purchase of paddy arrived in Punjab mandis. As on 26th December, 1990, out of total arrivals of 78.32 lakh tonnes in Punjab mandis, the Food Corporation of India and the State procuring agencies have purchased 45.26 lakh tonnes of paddy under price support operations. The millers have purchased only 33.06 lakh tonnes of paddy till 26th December, 1990. In all, the States/Union Territories taken together till 26th December, 1990, a total quantity of 49.22 lakh tonnes of paddy has been procured by Food Corporation cf India and State -procuring agencies under price support. Food Corporation of India and State procuring agencies have made elaborate arrangements to extend price support to the paddy growers.

देश में आरक्षण विरोधी आन्दोलन के कारण रेलवे को हुई क्षति

263. **श्री कपिल वर्मा :**

श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच ह कि आरक्षण विरोधी आन्दोलन के पहले सात सप्ताहों के दौरान रेलों को रोकने और जलाने; रेलवे स्टेशनों को क्षति पहुच ने और तोड़-फोड़ की अन्य कार्यव हियों के कारण रेलवे को भारी नुकसान हुआ हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि रेल ग ड़ियों के रद्द किए ज ने के कारण एव हिंसा के डर से य त्रियों की संख्य और माल ढुलाई क्षमता में कमी आई है ;

यह कमी औसतन कितनी ह और इसके परिणामस्वरूप कुल कितन घाटा उठाना पड़ा हैं; और

(ग) सरकार इस घाटे की क्षति-पूर्ति करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) जी हां, यद्यपि जो नुकसान हुआ है उसका सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, फिर भी यह लगभग 100 करोड़ के आसपास है।

(ग) विरोध स्वरूप हुए नुकसान को क्षतिपूर्ति करना कठिन है।

[The Vice-Chairman, Shrimati Jayanthi Natarajan (in the Chair]

STATEMENT BY MINISTER CORRECTING THE REPLY GIVEN IN THE RAJYA SABHA ON THE 10TH AUGUST, 1990 TO UNSTARRED QUESTION 565 REGARDING ALLOTMENT OF FIATS TO 1984 RIOT VICTIMS.

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 1984 दंगा पीड़ितों को फ्लैटों के आवंटन के संबंध में 10 अगस्त, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 565 के लिए गए उत्तर के संशोधनार्थ एक विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभापटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया देखिए सं. एल टी 1618A/90

12 Noon

PAPERS LAID ON THE TABLE

REPORT AND ACCOUNTS (1989-90 OF THE WATER POWER CONSULTANCY SERVICES (INDIA) LIMITED, NEW DELHI AND BE-LATED PAPERS

जल संसाधन मंत्री, साथ में जल भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : महोदया, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन